

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या
12/113/2023

रजि०नम्बर
2023/438

प्रवेश तिथि
03-08-2023

निर्णय दिनांक
11-07-2024

01- सुमरत पुत्र रमलू जाति मीणा निवासी ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर ।
-अपीलाण्ट

बनाम

01- तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

-रेस्पौडेन्ट

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ दिनांक
27.12.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू० राजस्व
अधिनियम प्रकरण संख्या 89/2022

उपस्थित:-


01-श्री जलालुदीन



-वकील अपीलाण्ट



अपीलान्ट ने यह अपील अदालत तहसीलदार रामगढ के आदेश दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 89/2022 जिले के द्वारा सम्बन्धित 2079 में ग्राम बगड राजपूत की सरकारी चारागाह भूमि आराजी खसरा नम्बर 787 रकबा 7.00 है० मे से 0.80 है० पर गैर सायल अपीलान्ट द्वारा अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगड मेव के तहत न्यायालय में प्रस्तुत की गई। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ० को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि पटवारी हल्का बगड राजपूत ने एक रिपोर्ट में तहत अदालत में इस आशय की पेश की है, कि सम्बन्धित 2079 में ग्राम बगड के आराजी खसरा न० 787 रकबा 7.00 है० मे से 0.80 है० पर गैर सायल अपीलान्ट अवैध रूप से गेहूँ काश्त कर कब्जा कर अतिक्रमण कर लिये जाने जाने पर पटवारी हल्का बगड राजपूत द्वारा दिनांक 07.12.2022 को उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त बगड मेव के तहत न्यायालय मे प्रस्तुत की गई। जिसके बाद अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम का नोटिस मिन अपीलान्ट को जारी किया गया तथा प्रकरण में दिनांक 27.12.2022 को आलौच्य निर्णय परित करते हुये आदेश दिया गया। कि गैर सायल को सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किए जाने पर बेदखली के आदेश पारित किये गये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप 03 माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं गैर सायल की गिरफ्तारी हेतु संबंधित पुलिस थाना को गिरफ्तारी वारंट जारी कर दण्ड स्वरूप लगान 0.80/-रूपये का 50 गुना रूपया 40/-रूपयें पेनल्टी आरोपित की जाकर माँग कायमी हेतु टी. आर.ए तहसील हाजा को लिखा जावे। पेनल्टी वसूली, फसल नीमाली एवं बेदखली हेतु पटवारी/भू०अ०निरीक्षक को लिखा जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर फरमायी गयी। प्रार्थी अपीलान्ट/गैर सायल द्वारा आराजी खसरा नंबर 787 रकबा 7.00 है० वाके ग्राम बगड राजपूत तहसील रामगढ जिला अलवर की भूमि में से 0.80 है० पर किसी प्रकार का कोई

अतिक्रमण नहीं किया गया। और नाही किसी प्रकार की कोई फसल बोई गई है। मात्र हल्का पटवारी के प्रार्थना-पत्र व बयान के आधार पर उपरोक्त प्रकरण में तहत न्यायालय द्वारा आलौच्य आदेश सादिर फरमाया गया है। जो अपास्त फरमाये जोन योग्य है। अपीलान्ट की उक्त प्रकरण में तामील हुई और मिन प्रार्थी अपीलान्ट ने उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रार्थी अपीलान्ट के जवाब प्रस्तुत किया गया लेकिन तहत अदालत ने प्रार्थी अपीलान्ट के जवाब से सन्तुष्ट नहीं होकर प्रार्थी अपीलान्ट के खिलाफ दण्डादेश पारित कर दिया इसलिये तहत अदालत का आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। प्रार्थी अपीलान्ट का सरकारी चारागाह भूमि पर कभी भी अतिक्रमण नहीं रहा है नाही वर्तमान में अतिक्रमण है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण के आधार पर तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जबकि हल्का पटवारी के द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी प्रकार का कोई दस्तावेज या प्रमाणित प्रतिलिपि पेश नहीं की गई है। नाही अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा अन्तर्गत धारा 91(6) का नोटिस दिया गया। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पूर्व निर्णयों की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश करनी होती है, लेकिन उक्त प्रकरण में हल्का पटवारी के बयानों के आधार पर तहत न्यायालय ने आलौच्य आदेश पारित किया है। तहत न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान साईक्लोस्टाईल में दिये गये है। तथा न्यायालय आदेश भी प्रिटेन्ड फोरमेट में पहले से छपे हुये आदेश में रिक्त स्थानों कि पूर्ति करते हुये किया गया। जबकि अधिनस्थ न्यायालय ने अपनी पत्रावली की आदेशिका में यह दर्ज किया है। निर्णय पृथक से लिखाया गया है। जो कि न्यायालय कार्यवाही के अनुसार संगत नहीं है। अपीलाधीन प्रकरण का निर्णय अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध किया है जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है प्रत्येक व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जाना चाहिये था। निर्णय न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज0 दिनांक 27.12.2022 प्रकरण संख्या 89/22 की मिन अपीलान्ट को पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिये अपील समयावधि में पेश नहीं की जा सकी। जिसमें मिन अपीलान्ट की कोई लापरवाही या बदयान्ती नहीं है। दिनांक 03.07.2023 को तहत अदालत के निर्णय के बाद पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर तहत अदालत के उक्त निर्णय की जानकारी मिन अपीलान्ट को मोखिक रूप से देने पर हुई। जानकारी होने पर मिन अपीलान्ट ने नकल के लिये जरिये अधिवक्ता दिनांक 05.07.2023 को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया जो नकल दिनांक 17.07.2023 को तैयार होकर दिनांक 17.07.2023 को नकल वकील साहब को दिखा कर कानूनी राय ली। तो वकील साहब ने अविलम्ब अपील न्यायालय श्रीमान में पेश करने की राय दी जिसके बाद अपील करने के लिये आवश्यक खर्च का इंतजाम कर वकील साहब से अपील आदि तैयार करा कर आज अपील सर्वप्रथम जानकारी की दिनांक 03.07.2023 से अन्दर मियाद प्रस्तुत की जा रही है। प्रार्थी अपीलान्ट की अपील  फरमायी जाकर अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा मुकदमा संख्या 89/2022 बअनुवान सरकार बनाम सुमरत में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 27.12.2022 को अपास्त फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं  किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 05 कानून मियाद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 27.12.2022 के विरुद्ध यह अपील न्यायालय हाजा को दिनांक 18.07.2023 को पेश की गयी है जो करीब 7 माह विलम्ब से पेश की गयी है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न दृष्टान्तों में मियाद के बिन्दू पर नरमी का रुख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः नरमी का रुख अपनाते हुए विलम्ब को माफ कर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया। अपीलान्ट पूर्व में अतिक्रमी रहा है जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त संबंध में अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें अपीलान्ट द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया गया कि विवादित आराजी पर से प्रार्थी ने अतिचार हटा लिया है और भविष्य में अतिचार नहीं करेगा। वकील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय हाजा में भी हलफनामा पेश कर निवेदन किया गया है कि  संख्या नंबर 787 रकबा 7.00 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर वाके ग्राम बगड़ राजपूत

अधीनस्थ न्यायालय अलवर राजस्थान

तहसील रामगढ़ जिला अलवर से मैंने अतिक्रमण हटा लिया है और मैं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करूंगा। अपीलान्ट के हलफनामे के आधार पर अपीलान्ट की अपील अपीलान्ट की सजा की हद तक स्वीकार की जाती है। शेष निर्णय यथावत रहेगा।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। निर्णय प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.07.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अति० जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज०)